पत्रांकः–4 / वन भूमि–78 / 2025..... / प०व०ज०प०

**बिहार सरकार**

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

**प्रेषक,**

**अभय कुमार,**
**मुख्य वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव।**

**सेवा में,**

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),**
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखंड,
राँची–834002

**पटना–15, दिनांक.....**

**विषय :–** शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-333A बरबीघा–शेखपुरा–सिकन्दरा–जमुई–झाझा–बाँका–पंजवारा झारखंड बोर्डर तक (0.00–198.45 कि०मी० पैकेज–I) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 142.7368 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्राप्त करने के संबंध में।

**महाशय,**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-333A बरबीघा–शेखपुरा–सिकन्दरा– जमुई–झाझा–बाँका–पंजवारा झारखंड बोर्डर तक (0.00–198.45 कि०मी० पैकेज–I) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 142.7368 हे० भूमि अपयोजन का प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक–03.02.2025 को पारित आदेश कंडिका–4 में दिये गये निर्देश इस प्रकार है–

"We make it clear that until further orders, no steps will be taken by the Union of India or any of the States, which will lead to reduction of the forest land unless a compensatory land is provided either by the State government or the Union of India for the purpose of afforestation."

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा प्रस्ताव संख्या–FP/BR/ROAD/404838/2022 में दोगुणे अवकृष्ट वन भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण के प्रावधानों के साथ दिनांक–28.02.2025 को Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों में एक शर्त संख्या–1.25 This is principle approval shall be subject to abidance by any order or guideline that may be issued by Hon'ble Supreme Court in WP(C)1164/2023 in particular or any court/tribunal or ministry in general, having relevance to the extant forest land diversion proposal है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा केस संख्या– WP(C)1164/2023 में दिनांक–03.02.2025 को पारित आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि प्रदान की जायेगी।

शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-333A बरबीघा–शेखपुरा–सिकन्दरा–जमुई–झाझा–बाँका–पंजवारा झारखंड बोर्डर तक (0.00–198.45 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 142.7368 हे० भूमि अपयोजन के अपयोजन प्रस्ताव एवं कुल–30,717 वृक्षों के प्रभावित होने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका, जमुई एवं मुंगेर तथा वन संरक्षक, भागलपुर एवं वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा किया गया है।

जिसकी विवरणी निम्नलिखित है :–

| क्रम सं० | वन प्रमंडल का नाम | क्षेत्रफल (हे० में) | Translocate हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या | पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जमुई | 89.6878 | 2139 | 16204 |
| 2 | मुंगेर | 7.645 | 1569 | 1340 |
| 3 | बाँका | 45.404 | 3316 | 6149 |
| | | **142.7368** | **7024** | **23693** |

विषयांकित पथ के किनारे की भूमि पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–921(ई०) दिनांक–28.08.1997 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में कुल 142.7368 हे० वन भूमि का अपयोजन होना है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका द्वारा प्रपत्र–II कि प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व क्रमशः 0.1, 0.2 एवं 0.1 तथा तीनों वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र– II की प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के क्रम में 7024 वृक्षों का पुर्नस्थापन 23693 वृक्षों का पातन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका द्वारा प्रस्तावित किया गया है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर एवं निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना की अध्यक्षता में गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है, जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

प्रासंगिक पत्र में अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, जमुई, लखीसराय एवं बाँका द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43/2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के बाद उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तदलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 142.7368 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने अर्थात 285.4736 हे0 अर्थात 286.50 हे० अवकृष्ट वन भूमि को जमुई, बाँका एवं मुंगेर वन प्रमंडल चिन्हित किया गया है। जमुई वन प्रमंडल के झाझा एवं चकाई वन प्रक्षेत्र अंतर्गत क्रमशः कामत, कैरी मेथीटांड, चकमेथीटांड बड़कीटांड (PF) एवं बाँका वन प्रमंडल के कटोरिया प्रक्षेत्र अंतर्गत भोरसार एवं चान्दन (PF) तथा मुंगेर वन प्रमंडल के लखीसराय प्रक्षेत्र अंतर्गत बुधौली बनकर चिन्हित कर दस वर्षीय वृक्षारोपन का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बाँका द्वारा प्रपत्र–II की प्रविष्टि, अनुशंसा नोट, वृक्ष गणना सूची, इत्यादि परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसके आलोक में प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है। परिवेश पार्टल पर प्रयोक्ता एजेंसी, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा ऑन लाईन किये गये अनुशंसा की Downloads प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव के साथ अत्यधिक दस्तावेज होने के कारण इसे e-Office Portal पर अपलोड करने में कठिनाईयाँ हो रही है। अतएव प्रस्ताव को e-Office Portal के बाहर भौतिक रूप से भेजा जा रहा है।

वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया जा सकता है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. 142.7368 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रु० 13,67,10,452/–(तेरह करोड़ सड़सठ लाख दस हजार चार सौ बावन रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 142.7368 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए अवकृष्ट वन भूमि जमुई, बांका एवं मुंगेर वन प्रमंडल अंतर्गत चिन्हित किया गया है। जमुई वन प्रमंडल के झाझा एवं चकाई वन प्रक्षेत्र अंतर्गत क्रमशः कामत, कैरी मेथी टांड, चकमेथीटांड बड़कीटांड (PF) एवं बाँका वन प्रमंडल के कटोरिया प्रक्षेत्र अंतर्गत भोरसार एवं चान्दन (PF) तथा मुंगेर वन प्रमंडल के लखीसराय प्रक्षेत्र अंतर्गत बुधौली बनकर चिन्हित कर कुल 286.5 हे० दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।
4. परियोजना निर्माण के क्रम में पौधों का पुनर्स्थापन प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी के दिशा–निर्देशन में कराया जायेगा। पुनर्स्थापित होने वाले पौधों के लिए स्थल एवं प्रक्रिया का निर्धारण वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, मुंगेर एवं बांका द्वारा किया जायेगा।
5. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1696/– रुपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।
6. यह अनुशंसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या WP(C)1164/2023 में पारित आदेश अथवा किसी अन्य न्यायालय/प्राधिकरण या मंत्रालय द्वारा जारी आदेश/निदेश के अधीन प्रभावित होगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

**(अभय कुमार)**

मुख्य वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः 4/वन भूमि–78/2025...../प०व०ज०प० , पटना–15, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

**(अभय कुमार)**

मुख्य वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

**ज्ञापांक** :–4/वन भूमि–78/2025...../प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक.....

**प्रतिलिपि** :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

**(अभय कुमार)**

मुख्य वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

**ज्ञापांक** :–4/वन भूमि–78/2025 2538 /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक 23/5/25

**प्रतिलिपि** :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

O/C 23/5/25

**(अभय कुमार)**

मुख्य वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

S@R S One-338

**Van Bhumi:- 78/2025**

## PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 142.7368 ha. forest land for construction of NH-333A,Barbigha-Shekhpura-Sikandr-Jamui - Jhajha-Banka-Panjwara Jharkhan Border (0.00-198.45 KM.) Shekhpura, Lakhisari, Jamui and Banka District may be sanctioned subject to the condition/ stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:- 23/5/25

Place:- Patna

Signature:-

Name of Designation:-

Official Seal:-